न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 10/2024

छोटूलाल पुत्र गंगाधर जाति माली निवासी आलूदा तहसील पापडदा जिला दौसा
.....अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गंगाधर
2. कैलाश पुत्र गंगाधर
3. जुगली पत्नि गंगाधर
4. मूली पुत्री गंगाधर
5. राजन्ती पुत्री गंगाधर
6. केशन्ता पुत्री शम्भु
7. खुशबू पुत्री शम्भु
8. मंगलीदेवी पत्नि स्व० शम्भु
9. ममता पुत्री स्व० शम्भु
10. रामवतार पुत्र शम्भु

    समस्त जाति माली निवासी आलूदा तहसील पापडदा जिला दौसा राजस्थान

11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पापडदा जिला दौसा (भू स्वामी)
12. उपपंजीयक पापडदा जिला दौसा

..... रेस्पोडेन्टस
... रेस्पों0

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं० 3149 तस्दीक दिनांक 3.5.2024 द्वारा तहसीलदार पापडदा जिला दौसा

उपस्थित– 1. श्री राजकुमार तिवाडी , अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 20.2.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार पापडदा द्वारा ग्राम आलूदा के पारित नामान्तरण सं0 3149 दिनांक 3.5.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार पापडदा से मूल अभिलेख तलब किया गया।
1. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम आलूदा तहसील पापडदा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 988 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 989 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 990 रकबा 0.56 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0 के खातेदारो में एक खातेदार अपीलांट के पिता गंगाधर के निधन के पश्चात उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरण संख्या 3149 दिनांक 03–05–2024 को भरा गया जिसमें अपीलांट का नाम छोटूलाल पुत्र गंगाधार के स्थान पर कैलाश पुत्र गंगाधर अंकित कर दिया जबकि अपीलांट की पहचान के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड [illegible] कार्ड भामाशाह कार्ड एवम् शैक्षणिक रिकॉर्ड छोटूलाल के नाम से ही बने हुए हैं इसके बावजूद भी अपीलांट का नाम छोटूलाल की जगह कैलाश अपीलाधीन नामान्तकरण में गलत दर्ज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की ज़ा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ नियम उपनियम व पत्रावली तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस भी नहीं दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया इसलिए भी उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही अवैध व अनुचित है इसलिए भी उक्त नामान्तकरण निरस्तनीय है। अधि० न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार की मजमे आम की कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए भी की गई उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही अवैध व अनुचित है। अधिनस्थ न्यायालय को किसी भी नामान्तकरण को तस्दीक करने से पूर्व विधिवत व कानूनन जांच करके नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिये था लेकिन अधि० न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए भी अधि० न्यायालय का निर्णय जेर अपील निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना व गैर कानूनी होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य सभी सरकारी दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अपीलांट का नाम छोटूलाल है उसी अनुसार अपीलांट के पिता के विरासत के नामान्तकरण में भी अपीलांट का नाम छोटूलाल ही दर्ज किया जाना चाहिये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दिनांक ग्राम पंचायत पापडदा जिला दौसा द्वारा 03–05–2024 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं0 3149 को निरस्त किया जाकर अपीलांट छोटूलाल का नाम अपीलांट के पिता गंगाधर की विरासत में कैलाश की जगह छोटूलाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. रेस्पों0 सं0 1 से 10 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को पूर्व में ही नामान्तरण खोले जाने से पूर्व ही सही अंकन करवाना था। फिर भी यदि नामान्तरण अपीलांट के नाम ही हद तक दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
4. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अपीलांट द्वारा नामान्तरण सं0 3149 दिनांक 3.5.2024 को निरस्त करने एवं उसके स्थान पर अपीलांट का सही नाम छोटूलाल पुत्र गंगाधर (जो कि सहवन से कैलाश पुत्र गंगाधर कर दिया गया है) करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।
6. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नामान्तरण सं0 3149 ग्राम आलूदा का पटवारी हल्का द्वारा गंगाधर पुत्र पून्या जाति माली के फौत होने पर मंगली पत्नि शंभू, रामावतार पुत्र शम्भू, केशन्ता पुत्री शंभू, खुशबू पुत्री शंभू, ममता पुत्री शंभू, ओमप्रकाश पुत्र गंगाधर, कैलाश पुत्र गंगाधर, जुगली पुत्री गंगाधर, मूली पुत्री गंगाधर, राजन्ती पुत्री गंगाधर, जाति माली के नाम नामान्तरण भरा गया है। तत्पश्चात दिनांक 35.05.2024 को तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया है। पत्रावली में संलग्न अपीलांट के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व राशन कार्ड के अवलोकन से भी यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट का नाम छोटूलाल पुत्र गंगाधर अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 3149 वाके ग्राम आलूदा [illegible]लदार पापडदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.5.2024 को अपीलांट के नाम (कैलाश पुत्र गंगाधर)की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से [illegible] प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर,उक्त विवादित खसरा नंबर में अन्य पक्षकरान को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं अन्य साक्ष्य जो अधीनस्थ न्यायालय को उचित लगे एकत्रित कर, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट दिनांक 09.03.2026 को न्यायालय तहसीलदार पापडदा के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा अपना आदेश पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 20 फरवरी, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:27 IST
Reason: SelfAttested